

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बड़जलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 92/22

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 कुन्दन गहलोत पुत्र रामनिवास गहलोत निवासी हनुमान बाग, नागौर। फर्म:- मैसर्स गोकुल मिष्ठान भण्डार, पुराना बस स्टेण्ड दिल्ली दरवाजा के बाहर नागौर। 2 रामनिवास गहलोत पुत्र गणेशराम फर्म:- मैसर्स गोकुल मिष्ठान भण्डार, पुराना बस स्टेण्ड दिल्ली दरवाजा के बाहर नागौर।

आदेश


दिनांक :11.02.2023

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 20-10-22 को मैसर्स गोकुल मिष्ठान भण्डार, पुराना बस स्टेण्ड दिल्ली दरवाजा के बाहर नागौर पर खाद्य पदार्थ मावा मिठाई में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 2048 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/1278/एक्ट/2022/1139 दिनांक 31.10.2022 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ मावा मिठाई food containing extraneous matter under section 3(1) (i) food safety and standard act 2006 due to presence of extraneous matter starch होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण कुन्दन गहलोत पुत्र रामनिवास गहलोत निवासी हनुमान बाग, नागौर तथा रामनिवास गहलोत पुत्र गणेशराम निवासी हनुमान बाग नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 54 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 20-12-22 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 08.02.23 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने हमारी दुकान से मावा मिठाई का सैम्पल लिया जो जांच में food containing extraneous matter under section 3(1) (i) food safety and standard act 2006 due to presence of extraneous matter starch होना पाया गया। अप्रार्थीगण ने बताया कि भविष्य में खाद्य पदार्थ मावा मिठाई को बेचते समय ऐसी गलती नहीं करेंगे लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/1278/एक्ट/2022/1139 दिनांक 31.10.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ मावा मिठाई का नमूना food containing extraneous matter under section 3(1) (i) food safety and standard act 2006 due to presence of extraneous matter starch होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 कुन्दन गहलोत पुत्र रामनिवास गहलोत निवासी हनुमान बाग, नागौर तथा अप्रार्थी संख्या 02 रामनिवास गहलोत पुत्र गणेशराम निवासी हनुमान बाग नागौर पर संयुक्त रूप रूपये 20,000/- अक्षरे बीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते हैं तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चिता करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)